

10/11/13

आदेश

आमुक्त उत्पाद बिहार, पटना के फांक्-3144 दिनांक 07-10-2013 एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के संमुक्त जिला आदेश आंफांक्-2105/जौ०, दिनांक 04-10-2013 तथा राजस्व परिषद, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-4/टैक/30013/96-175 दिनांक 27-02-2006 के आलोक में विधि-अवस्था बनाये रखने हेतु दण्डार (मौदार) के अवसर पर दिनांक 13-10-2013 एवं 14-10-2013 को जिला के सभी धाराब हुकाने बन्द रहेंगी।

आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

10/11/13
प० अधीक्षक उत्पाद,
कार्मालम, मधेपुरा।

आप संख्या 660/उ०, दिनांक 09/11/2013

प्रतिक्षीप जिला दण्डाधिकारी मधेपुरा/ पुलिस अधीक्षक मधेपुरा/ आमुक्त उत्पाद के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिक्षीप जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी (P.P.R.O.) मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिक्षीप जिला सूचना विज्ञान अधीक्षक, एम० आई० सी०, मधेपुरा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिक्षीप निरीक्षक उत्पाद, मधेपुरा/ अंचल अवर निरीक्षक उत्पाद सदर/ उदादिबुधनगंज/ मध्यम छागार पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि जिले की सभी धाराब हुकानों को बन्द कराना सुनिश्चित करेंगे तथा सधनगवती एवं हापामारी करेंगे ताकि किसी भी श्रेत से धाराब को बन्द नही हो सके।

प्रतिक्षीप प्रतिनिधि सर्वश्री मन्चर्मा कोटलिंग प्लान्ट, प्रोबि०, देवी धाराब विनिर्माण आला, मधेपुरा/ प्रबन्धक, को० एस० को० सी० एल० देवी धाराब/ मन्गलदेव देवी धाराब/ विदेवी धाराब, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/13
प० अधीक्षक उत्पाद,
कार्मालम, मधेपुरा।